

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक - रीडर/2017/ 1775

दिनांक 18/7/17


प्रेषित :-

तहसीलदार सेड़वा

विषय :- राजस्व आवेदन सं. 231/17 अनवान भारमलराम वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा
अन्तर्गत धारा 251 ए में निर्णय की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त अनवान में निर्णय दिनांक 18/7/17 को पारित
किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18/7/17 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट
की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

सलंगन - निर्णय की प्रमाणित प्रति।


उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी -श्री भागीरथराम,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन :- 231/17 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

प्रार्थीगण :- 1. भारमलराम पुत्र सांवताराम 2.वाधुदेवी पत्नि भारमलराम
जाति विश्‍नोई, निवासी फागलिया, तहसील सेड़वा।

बनाम

विप्रार्थीगण :- 1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेड़वा।

वकील प्रार्थीगण :- श्री बाबूलाल विश्‍नोई

विप्रार्थीगण वकील :-

निर्णय

दिनांक 18/7/17

प्रार्थीगण भारमलराम पुत्र श्री सांवताराम वगैरा जाति विश्‍नोई, निवासी फागलिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा सं. 231 रकबा 83.06 बीघा मौजा फागलिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर में स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित फार्म में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उसकी उक्त जोत पर आने जाने हेतु विप्रार्थी के खसरा सं. 646/235 रकबा 10.00 बीघा मौजा फागलिया के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थीगण को रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गए तथा प्रार्थीगण के अधिवक्ता के निवेदन पर तहसीलदार को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। विप्रार्थी का नोटिस तामिल सुदा प्राप्त जो पत्रावली शामिल किया गया। तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पत्रावली शामिल की गई। मौका रिपोर्ट वकील प्रार्थीगण द्वारा स्वीकार की गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया।

चुंकि प्रस्तुत आवेदन एवं मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की मांग की गई है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव, आबादी, बस स्टेशन, स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जिन खसरों से रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :-



उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	646/235	10.00	बा.सो.	264X13 फीट 40X2 गद्दा	00.04	फागलिया	राज.सरकार

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट एवं सलंगन मौका नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा इस में लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमती पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दोगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) - (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका एवं सलंगन आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :-

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंगन मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।



उपस्थित अधिकारी
चौहटन

3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीगण को उक्त चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।


उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 18/7/12 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18/7/12 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
बोहटन

नवरा किशतवार (आशिक)
 ग्राम
 तह-सेइवा ०२५/०५५
 पैमाना १ इंच=८० गटा



Ex-count

6428
 दिनांक 17/07/17

नर इ.स.
 उपनिवार
 नवरा किशतवार
 तह-सेइवा

न. न.
 नवरा किशतवार

नवरा किशतवार (नू. ज.) संकेत

उपनिवार नवरा किशतवार

मौका - फई

आज दिनांक 17-07-2017 को श्रीमान न्यायालय
 उपखण्ड शाहीपुरी एवं उपखण्ड मालिन्दे चौहटन के इतिहास
 क्रमांक 117/58-1 दिनांक 15-07-2017 व श्रीमान तहसीलदार
 साहब खेड़ा के इतिहास क्रमांक/श.सं. 2017/233 दिनांक
 15-07-2017 की पालना में ग्राम, प्रणालिया के खसरा
 नं. 231 इकवा 83-06 में डालने-पाने हेतु शक्ता 251(क)
 में खसरा नं. 646/235 में चाला गया है। खसरा नं.
 646/235 इकवा 10-00 बीघा जैय. वा.सं. शजमिय
 खाले में इति है। इसका मौका बंध किया गया। मौके
 पर भूमि खाली है। चाही गई भूमि पर कोई भी
 पेड़-पौधा नहीं है। इस भूमि पर वर्तमान में कोई
 फच्चा/सक्का निर्माण नहीं है। इस शक्ते के डालना
 इसका कोई वैकल्पिक व गणदीकी शक्ता/मागी नहीं है।
 चाहे ग्रामे शक्ते का बिना निम्न प्रकार है -


उपत्र

क्र. सं.	आदेशक माप व. पता	खसरा संख्या	इकवा (बीघा)	शक्ते की लम्बाई/चाँई (फुट)	समाविष्ट भूमि का विवरण	BLC दर	समाविष्ट भूमि की शक्ति	क्रिया
1	राज. संस्कार	646/235	10-00	264x123 40x2 गडा	00-04	42,800/-	17/20/-	वा.सं.

Ex-count

मौका फई मोके अन्तर्गत मौकादान तैयार कर हस्तक्षेप व निष्पन्न विधान
 इतनापे गये।

उपखण्ड अभि
 चौहटन



जोरा
 न.सि
 मालिन्दे/साहब

17/7/17
 पटवारी (भू. अ.) कागलिया
 साहब खेड़ा (बाड़मेर)

तहसीलदार (भू. अ.) साहब खेड़ा